भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3421

23 मार्च, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

महानगरों में अतिक्रमण की समस्या

3421 # श्री नीरज डांगीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान महानगरों में कितने स्थानों से अतिक्रमण हटाया गया और इनमें से उन स्थानों की संख्या जहां पुनः अतिक्रमण हो गया है, और यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या कई महानगरों में फुटपाथों और सड़कों पर अतिक्रमण के कारण आम नागरिकों, विशेषकर दिव्यांगजनों और बुजुर्गों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार की तात्कालिक कार्य योजना क्या है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ रेहड़ी-पटरी वाले छोटे व्यापारियों के पुनर्वास के लिए कोई स्थायी व्यवस्था करने पर विचार कर रही है, जिससे अतिक्रमण की समस्या बार-बार उत्पन्न न हो?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II-राज्य सूची की प्रविष्टि 18 के अनुसार, भूमि और कालोनीकरण राज्य के विषय हैं और सरकारी भूमि के अवैध अतिक्रमण से संबंधित मामले संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के क्षेत्राधिकार में आते हैं। तथापि, जहां तक आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आने वाली संपत्तियों का संबंध है, अतिक्रमण के मामलों का निपटान प्रशासनिक कार्रवाई और सार्वजनिक स्थान (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 और/अथवा उपर्युक्त विषय पर लागू अन्य कानूनों के माध्यम से किया जाता है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान, भूमि और विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) ने नौ (9) अतिक्रमण; केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने दिल्ली में सात (7) और मुंबई में एक (1) अतिक्रमण हटाया है; दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने दिल्ली पुलिस की सहायता से फुटपाथों और सड़क के किनारों को साफ करने के लिए बेदखली कार्यक्रम सहित दिल्ली में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए 210 से अधिक ध्वस्तीकरण कार्यक्रम शुरू किए हैं।

(ग) शहरी पथ विक्रेताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए, भारत सरकार ने पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 अधिनियमित किया है। तथापि, नियम, योजना, उप-नियम आदि बनाकर इसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है।

****